

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2443

दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत उत्पादन क्षमता

2443. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा, विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास आम नागरिकों के लिए बिजली सस्ती बनाने हेतु विद्युत शुल्कों को विनियमित करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश की स्रोतवार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण (दिनांक 31.01.2025 तक) अनुबंध पर दिया गया है। कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) की हिस्सेदारी 45.5% है।

(ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती आ रही है। ये स्कीमों दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं। इन स्कीमों के तहत, विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएँ क्रियान्वित की गईं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में देश में वित्तीय रूप से स्थित और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के तहत पात्र वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वितरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और

स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सौभाग्य अवधि के दौरान छोटे सभी घरों के विद्युतीकरण का समर्थन कर रही है। गैर-विद्युतीकृत घरों की पहचान करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है। 10,19,030 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें सौभाग्य के दौरान छोटे घरों, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत चिह्नित जनजातीय घरों और सार्वजनिक स्थानों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे तक सुधर गए हैं।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत की खुदरा आपूर्ति शुल्क तय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आती है। टैरिफ नीति टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है। विद्युत की खुदरा आपूर्ति शुल्क विद्युत क्रय लागत और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के अन्य प्रचालन और वित्तीय मापदंडों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और यह पूरे देश में डिस्कॉम के अनुसार अलग-अलग होता है।

देश की स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता का विवरण (दिनांक 31.01.2025 तक):

श्रेणी		संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कुल में % हिस्सा		
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,13,873	45.9%		
	लिग्नाइट	6,620	1.4%		
	गैस	24,818	5.3%		
	डीज़ल	589	0.1%		
	कुल जीवाश्म ईंधन :	2,45,900	52.7%		
गैर-जीवाश्म ईंधन	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस)		2,12,170	45.5%	
	हाइड्रो	हाइड्रो	46,968	10.1%	
		पवन, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	1,65,202	35.4%	
		पवन	पवन	48,365	10.4%
			सौर	1,00,330	21.5%
			जैव ऊर्जा	10,743	2.3%
			अपशिष्ट से ऊर्जा	663	0.1%
			लघु जल विद्युत	5,101	1.1%
	परमाणु	8,180	1.8%		
	कुल गैर-जीवाश्म ईंधन :	2,20,350	47.3%		
कुल संस्थापित क्षमता (जीवाश्म ईंधन और गैर-जीवाश्म ईंधन)		4,66,251	100%		

\*\*\*\*\*